5

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक / एफ–10 / बजट / 289 / 940 भोपाल, दिनांक 9-4-15

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव
   वन / वित्त / योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी / लोक निर्माण / जल संसाधन / पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र.
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र.
4. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केंद्रीय भवन, रविशंकर नगर, भोपाल (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रतिनिधि)
6. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), म.प्र.
7. अशासकीय संगठन, डब्ल्यु.डब्ल्यु.एफ. मध्यप्रदेश रायबा बिल्डिंग, पर्यावरण परिसर, ई–5 अरेरा कॉलोनी, भोपाल, म.प्र.
8. अशासकीय संगठन, अरण्या भोपाल
   श्रीमती अर्चना शर्मा (अरण्या),
   जी–3 / 376, गुलमोहर कॉलोनी, भोपाल म.प्र.

विषयः–प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, म.प्र. की राज्य स्तरीय संचालन समिति की दिनांक 30.03.2015 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक / एफ–10 / बजट / 289 / 827 दिनांक 20.03.2015

–0–

उपरोक्त विषय में मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 30.03.2015 के अनुमोदित कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(सी.पी. राय)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्य प्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ–10 / बजट / 289 / 941 भोपाल, दिनांक 9-4-15

प्रतिलिपिः– स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, म.प्र. मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्य प्रदेश भोपाल

C:\D-Drive Data\DATA-09\Budjet\BUDGET (F-10).doc

मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित, मध्य प्रदेश स्टेट कैम्पा की राज्य स्तरीय संचालन समिति की पांचवी बैठक दिनांक 30.03.2015 का कार्यवाही विवरण

–0–

दिनांक 30.03.2015 को मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन की अध्यक्षता में स्टेट कैम्पा की राज्य स्तरीय संचालन समिति की पांचवी बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची परिशिष्ट–I पर है। बैठक की कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है:–

1. राज्य स्तरीय संचालन समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 11.02.2013 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन –

राज्य स्तरीय संचालन समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 11.02.2013 के कार्यवाही विवरण का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया।

2. राज्य स्तरीय संचालन समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 11.02.2013 में लिये गये निर्णय का पालन प्रतिवेदन –

राज्य स्तरीय संचालन समिति की चतुर्थ बैठक में लिये गये निर्णयों पर बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन के विवरण से समिति अवगत हुई।

3. बैठक में रखें गये एजेंण्डाओं पर चर्चा उपरान्त निम्न निर्णय लिए गए :-

<u>एजेण्डा क्रमांक –5.1</u>

वर्ष 2013–14 के ए.पी.ओ को कार्योत्तर अनुमोदन–

समिति द्वारा वर्ष 2013–14 के ए.पी.ओ. का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।

<u>एजेण्डा क्रमांक –5.2</u>

वर्ष 2014–15 तक कुल प्राप्त राशि एवं संभावित उपलब्ध राशि की उपयोगिता एवं विभिन्न मदों में व्यय के प्रस्ताव –

एड–हॉक कैम्पा मद से राज्य में उपलब्ध राशि, संभावित उपलब्ध होने वाली राशि एवं विभिन्न मदों में प्रस्तावित ए.पी.ओ. अनुसार प्रस्तावित व्यय से अवगत हुई।

<u>एजेण्डा क्रमांक – 5.3</u>

वर्ष 2014–15 हेतु ए.पी.ओ. का प्रस्ताव –

समिति द्वारा ए.पी.ओ. के प्रस्तावों पर चर्चा उपरान्त एजेण्डावार निर्णय लिया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है।

एजेण्डा क्रमांक –5.3.1

वर्ष 2014–15 हेतु नवीन वनीकरण कार्यों के प्रस्ताव

समिति द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण की 69 नवीन वनीकरण योजनाओं की कुल लागत राशि रु.238.52 करोड़ (प्रथम वर्ष के कार्यों हेतु रु.92.77 करोड़) का अनुमोदन किया गया।

5.3.2– वर्ष 2014–15 में वैकल्पिक वनीकरण के नवीन प्रस्ताव जिनमें मूल्य वृद्धि के कारण अधिक राशि की आवश्यकता है –

समिति द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण की 4 योजनाएं, 37.928 हेक्टेयर के प्रस्तावों के सम्बन्ध में सुझाव दिया गया कि इनमें प्रति हेक्टेयर रोपण की राशि अधिक है। अतः दो योजनाएं जिनमें क्षेत्र अत्यधिक कम है, उनके स्थान पर बड़ा क्षेत्र चयनित किया जाये जिससे कि प्रति हेक्टेयर रोपण की राशि उचित रहे। उक्त के पालन के आधार पर प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

5.3.3 कैम्पा मद से कराये जा रहे कार्यों का बाह्य संस्थाओं से अनुश्रवण का प्रस्ताव–

भारतीय वन प्रबन्धन संस्थान से इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने हेतु एवं बाह्य संस्थाओं से अनुश्रवण हेतु राशि रु.1.00 करोड़ के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा क्रमांक – 5.4

5.4.1– 400 के.व्ही. विन्ध्यांचल–सतना–सागर–बीना विद्युत लाईन अंतर्गत वन्य प्राणी संरक्षण योजना का प्रस्ताव –

समिति द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण हेतु राशि रु.67.00 लाख के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

5.4.2–अमिलिया (नार्थ) कोल ब्लॉक परियोजना अंतर्गत वन्य प्राणी संरक्षण योजना का प्रस्ताव

समिति द्वारा चतुर्थ बैठक में स्वीकृत राशि रु.14.00 करोड़ की संशोधित योजना के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

5.4.3– महान कोल ब्लॉक परियोजना अंतर्गत वन्य प्राणी संरक्षण योजना का प्रस्ताव–

समिति द्वारा महान कोल ब्लॉक परियोजना अंतर्गत वन्य प्राणी संरक्षण योजना का प्रस्ताव राशि रु.21.00 करोड़ का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा क्रमांक – 5.5 एन.पी.वी. मद से संबंधित प्रस्ताव

5.5.1 –पन्ना टाईगर रिजर्व के अन्तर्गत हीरा खदान परियोजना अंतर्गत प्राप्त एन.पी.वी. की राशि रु.8.36 करोड़ के उपयोग का प्रस्ताव –

समिति द्वारा राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण एवं विकास हेतु एन.पी.वी. के अन्तर्गत राशि रु.8.36 करोड़ के कुल प्रस्ताव एवं प्रथम वर्ष के कार्यों हेतु राशि रु.4.53 करोड़ का अनुमोदन किया गया।

5.5.2–भोपाल में निर्मित होने वाले नवीन वन भवन के लिए कैम्पा मद से रु.25.00 करोड़ का प्रावधान करने बावत् –

समिति द्वारा प्रस्ताव अनुसार एन.पी.वी. मद से नवीन वन भवन हेतु राशि रु.13.00 करोड़ के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

5.5.3 – मध्यप्रदेश राज्य कैम्पा के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों का लेखा संधारण तथा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्ताव।

समिति द्वारा प्रस्ताव अनुसार एन.पी.वी. मद से लेखा संधारण तथा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु राशि रु.1.39 करोड़ के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

5.5.4 – क्षेत्रीय कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु 16 स्कॉर्पियो वाहन (4 व्हील ड्राइव) का क्रय (लगभग रु.12.50 लाख प्रति वाहन)

समिति द्वारा प्रस्ताव अनुसार एन.पी.वी. मद से क्षेत्रीय कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु 16 स्कॉर्पियो वाहन (4 व्हील ड्राइव) का क्रय करने हेतु राशि रु.2.00 करोड़ के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

5.5.5 – मध्यप्रदेश स्टेट कैम्पा का महालेखाकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में विगत वर्षों के लेखा तैयार करने हेतु चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेवा लेने बावत्।

समिति द्वारा प्रस्ताव अनुसार एन.पी.वी. मद से विगत वर्षों के लेखा तैयार करने हेतु चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेवा लेने हेतु राशि रु.25.00 लाख के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

5.5.6–अनुसंधान विस्तार एवं लोक वानिकी का प्रदर्शन प्रक्षेत्र का निर्माण/सड़क–नहर किनारे रोपण अनुश्रवण मूल्यांकन एवं प्रचार प्रसार का प्रस्ताव–

समिति द्वारा प्रस्ताव अनुसार एन.पी.वी. मद से किसानों की भूमि पर प्रदर्शन प्रक्षेत्र का निर्माण तथा सड़क/नहर किनारे रोपण हेतु राशि रु.222.00 लाख के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा क्रमांक –5.6

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत आवेदक संस्थाओं से प्राप्त गैर वन भूमि की सुरक्षा का प्रस्ताव –

समिति द्वारा प्रस्ताव पर असहमत होते हुए प्रस्ताव को मान्य नहीं किया गया क्योंकि कैम्पा से ए.पी.ओ. के अनुसार राशि प्राप्त होती है तथा ए.पी.ओ. में स्वीकृतियों के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिये राशि स्वीकृत नहीं की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार प्रस्तावों के अनुमोदन उपरान्त बैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई।

संलग्नः–

(i) परिशिष्ट I & II

मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन
द्वारा अनुमोदित

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू–प्रबन्ध)
मध्य प्रदेश, भोपाल

परिशिष्ट–I

माननीय मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश की अध्यक्षता में आयोजित स्टेट कैम्पा की राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक दिनांक 30.03.2015 में उपस्थित अधिकारियों/सदस्यों की सूची

अ.क्र.	नाम	पदनाम
1	श्रीमती अजिता बाजपेयी पाण्डे	अपर मुख्य सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
2	श्री ए.पी. श्रीवास्तव	प्रमुख सचिव, वन मध्य प्रदेश
3	श्री प्रमोद अग्रवाल	प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश
4	श्री अनिल ओबेराय	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश
5	श्री नरेन्द्र कुमार	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी), मध्य प्रदेश
6	श्री मनीष रस्तोगी	आयुक्त, बजट
7	श्री रतन पुरवार	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), मध्य प्रदेश
8	श्री सी.पी.राय	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), मध्य प्रदेश
9	श्री प्रशान्त कुमार	सचिव, वन विभाग
10	श्री विवेक जैन	मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), मध्य प्रदेश
11	श्री चरनजीत सिंह	मुख्य वन संरक्षक (एन.पी.वी.), मध्य प्रदेश
12	श्री अनूप सिंह राजपूत	अतिरिक्त सचिव वन, मध्य प्रदेश
13	सुश्री संगीता सक्सेना	प्रतिनिधि, अशासकीय संगठन, डब्ल्यु.एब्ल्यु.एफ.–आई, भोपाल.
14	श्रीमती अर्चना शर्मा	प्रतिनिधि, अशासकीय संगठन, अरण्या